न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 12/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/182
अनवान

1. रुड़ाराम पुत्र केहराराम जाति कलबी निवासी हरियाली, तहसील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी...........

1. नेथीराम पुत्र नवाजी जाति कलबी निवासी हरियाली तहसील सांचौर।
2. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमिधारी)– सांचौर।

अप्रार्थीगण.........

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 12.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 05.12.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाली में खेत खाता संख्या 63 के खेत खसरा नंबर 610 रकबा 7.2300 हैक्टर भूमि केहरा वल्द वेला के नाम थी जिस में से 0.74 हैक्टर भूमि नेथीराम वल्द नवाजी को बेचान की गई एवं जिसका नया खसरा नंबर 2206/610 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि नेथीराम के नाम से जमाबंदी में इन्द्राज की गई। बैचान की गई भूमि खसरा नंबर 2206/610 की पटवारी हल्का द्वारा तरमीम की गई जो बैचान की गई रकबे से ज्यादा खसरा नंबर 2206/610 की नक्शे में तरमीम 1 हैक्टर भूमि की कर दी गई। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 610 में से 0.44 हैक्टर भूमि ओर बैचान की गई जिसके नये खसरा नंबर 2402/610 बने [illegible] प्रार्थी ने अपने मूल खसरा नंबर 610 में से खसरा नंबर 2206/610 [illegible] है [illegible] खसरा नंबर 2402/610 रकबा 0.44 हैक्टर कुल रकबा 1.18 हैक्टर भूमि अ[illegible] संख्या 1 को बैचान की गई। जिसकी तरमीम पटवारी द्वारा नक्शे में 1.47 हैक्टर [illegible] की ज्यादा नक्शे में तरमीम कर दी जो गलत है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से भारतमाला परियोजना में प्रार्थी खातेदारी भूमि में से 1.2921 हैक्टर आवाप्त की गई जिससे प्रार्थी का खेत दो हिस्सो में बंट गया। भारतमाला के उत्तरी दिशा में खसरा नंबर 2730/610 रकबा 4.17 हैक्टर भूमि जमाबंदी में दर्ज की गई जबकि नक्शा व मौका स्थिति अनुसार कम जमीन की तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

की गई व भारतमाला के दक्षिणी भाग में खसरा नंबर 2731/610 रकबा 0.47 हैक्टर जमाबंदी में दर्ज किया है। जबकि मौके पर यह भूमि 1 हैक्टर है। पटवारी ने तरमीम मौके अनुसार नही की है। जिससे रिकोर्ड व तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है। मूल खसरा नंबर 610 के नये तरमीम सुदा खसरा नंबर 2206/610, 2402/610, 2731/610, 2730/610 हैक्टर भूमि का मौके के अनुसार रेकर्ड में व नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायसंगत है। वादग्रस्त भूमि ग्राम हरियाली में स्थित होने से व रेकर्ड दुरस्ती का मामला होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का विषय है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि मूल खसरा नंबर 610 में से बैचान किया गया अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नंबर 2206/610 रकबा 0.74 हैक्टर व खसरा नंबर 2402/610 रकबा 0.44 हैक्टर कुल रकबा 1.18 हैक्टर भूमि की तरमीम करनी थी जो 0.29 हैक्टर ज्यादा तरमीम की गई उसको दुरस्त किया जावे एवं भारतमाला में अवाप्त भूमि के उत्तर दिशा के खसरा नंबर 2730/610 की मौके अनुसार तरमीम नही कर जमाबंदी में मौके से ज्यादा जमीन दर्ज कर दी गई है व दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 2731/610 जो मौके पर 1 हैक्टर भूमि है। कि मौके अनुसार तरमीम न कर जमाबंदी में रकबा कम कर 0.47 हैक्टर भूमि दर्ज की है जिसे मौके अनुसार 1 हैक्टर भूमि होने से तरमीम व जमाबंदी में 1 हैक्टर भूमि की दुरस्ती करने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित ।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम हरियाली के मूल खसरा संख्या 610 में से बैचान किया गया अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा संख्या 2206/610 रकबा 0.74 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2402/610 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि करनी थी जो 0.29 हैक्टेयर ज्यादा तरमीम की गई उसको दुरूस्त किया जावे एवं भारतमाला में अवाप्त भूमि के उत्तर दिशा के खसरा संख्या 2730/610 की मौके अनुसार तरमीम नहीं कर जमाबंदी में मौके से ज्यादा जमीन दर्ज कर दी गई है व दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 2731/610 जो मौके पर 1 हैक्टेयर भूमि है कि मौके अनुसार तरमीम न कर जमाबंदी में रकबा कम कर 0.47 हैक्टेयर भूमि दर्ज की है जिसे मौके अनुसार 1 हैक्टेयर भूमि होने से तरमीम व जमाबंदी में 1 हैक्टेयर भूमि की दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि मूल खसरा संख्या 610 के मौके के अनुसार नक्शे में तरमीम व रेकर्ड में दुरूस्ती करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें।

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश जांच रिपोर्ट/जवाब का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) सांचौर के पत्र क्रमांक/भू.अ./न्याय./जा./2025/4478 दिनांक 27.10.2025 के अनुसार मौजा हरियाली के खसरा संख्या 2206/610, 2402/610, 2730/610, 2731/610, 2729/610 कुल रकबा 7.23 हैक्टेयर आराजी

का मौजा स्थिति जांच एवं नये व पुराने राजस्व रेकर्ड से तुलनात्मक जांच निरीक्षक (भू. अ.) अरणाय एवं पटवारी हल्का हरियाली से करवाई गई। मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड की तुलनात्मक जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त वर्णित भूमि की वर्तमान में मौका स्थिति निम्न अनुसार है मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड की तुलनात्मक जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2206/610 का रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2402/610 का रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2730/610 का रकबा 3.6467 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2731/610 का रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2729/610 का रकबा 1.2921 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2472/610 का रकबा 0.1112 हैक्टेयर सही होना चाहिए लेकिन तुलनात्मक रिकॉर्ड एवं मौका जांच अनुसार खसरा संख्या 2206/610 का रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2402/610 का रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2729/610 का रकबा 1.2912 हैक्टेयर की नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित है। जमाबंदी के रकबे में कोई दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है एवं खसरा संख्या 2730/610 का रकबा 4.17 हैक्टेयर के बजाय 3.6467 हैक्टेयर दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित है नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है इसी प्रकार खसरा संख्या 2731/610 का रकबा 0. 4767 हैक्टेयर के बजाय 1.00 हैक्टेयर दर्ज करना तथा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित है। खसरा संख्या 2742/610 का रकबा 0.1112 हैक्टेयर में कोई दुरूस्ती अपेक्षित नहीं है बाबत् जांच रिपोर्ट/जवाब पेश किया है।

7. अप्रार्थी संख्या द्वारा जवाब में भी प्रार्थी द्वारा पेश धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तमाम तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश जांच रिपोर्ट/जवाब में भी तरमीम दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित किया है। इस प्रकार रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा पेश धारा 136 राजस्थान भू. अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को यह आदेशित किया जाता है कि आपके पत्र क्रमांक/भू.अ./न्याय/जा/2025/4478 दिनांक 27.10.2025 के संदर्भ में वादग्रस्त आराजी की जांच रिपोर्ट पेश की है उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती करावें। उक्त रिपोर्ट/जवाब इस आदेश का भाग समझा जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **05.12.2025** को रार–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)सांचौर जिला जालोर (राज.)

क्रमांक:-भू.अ./न्या.जां./2025/ 4478 दिनांक 27/10/2025

प्रेषिती:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांचौर

विषय :- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर के मुक़दमा नंबर 12/2025 अनवान रुडाराम बनाम नेथीराम वगैरह में जाँच रिपोर्ट भेजने बाबत |

प्रसंग :-श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांचौर के निर्देश न्यायालय लंबित प्रकरण के जाँच रिपोर्ट के सन्दर्भ में |

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर के मुक़दमा नंबर 12/2025 अनवान रुडाराम बनाम नेथीराम वगैरह में जाँच रिपोर्ट भेजने बाबत मौजा हरियाली के खसरा नंबर 2206/610,2402/610,2730/610,2731/610,2729/610 कुल रकबा 7.23 हैक्टर आराजी का मौका स्थिति जाँच एवं नए एवं पुराने राजस्व रेकर्ड से तुलनात्मक जाँच निरीक्षक (भू.अ.)अरणाय एवं पटवारी हल्का हरियाली से करवाई गई | मौका स्थिति एवं रिकार्ड की तुलनात्मक जाँच रिपोर्ट अनुसार उक्त वर्णित भूमि की वर्तमान में मौका स्थिति निम्न अनुसार है |

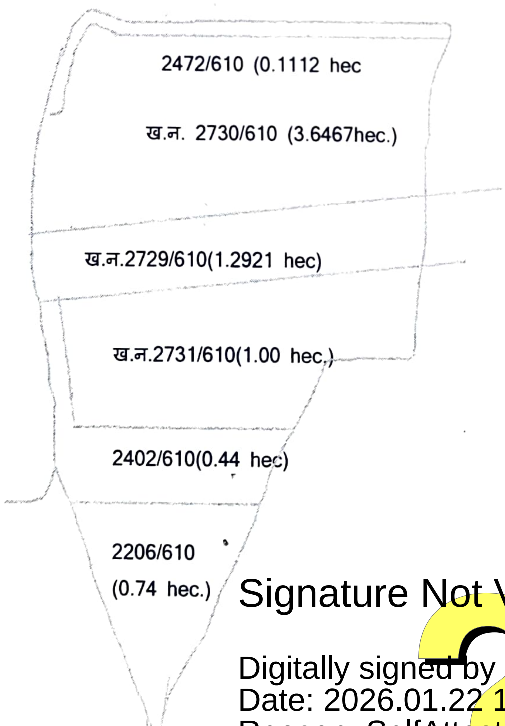

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

मौका स्थिति एवं रिकार्ड की तुलनात्मक जाँच रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 2206/610 का रकबा 0.74हैक्टर, खसरा नंबर 2402/610 का रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर 2730/610 का रकबा

तहसीलदार (भू.अ.) सांचौर

3.6467 हैक्टर, खसरा नंबर 2731/610 का रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नंबर 2729/610 का रकबा 1.2921 हैक्टर, खसरा नंबर 2472/610 का रकबा 0.1112 हैक्टर सही होना चाहिए |

लेकिन यह है कि तुलनात्मक रिकार्ड एवं मौका जाँच अनुसार खसरा नंबर 2206/610 का रकबा 0.74हैक्टर, खसरा नंबर 2402/610 का रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर 2729/610 का रकबा 1.2912 हैक्टर की नक्शा में तरमीम दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित है जमाबंदी के रकबे में कोई दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है एवं खसरा नंबर 2730/610 का रकबा 4.17 हैक्टर के बजाय 3.6467हैक्टर दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित है नक्शा में तरमीम दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है इसी प्रकार खसरा नंबर 2731/610 का रकबा 0.4767 हैक्टर के बजाय 1.00 हैक्टर दर्ज करना तथा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित है | खसरा नंबर 2472/610 का रकबा 0.1112 हैक्टर में कोई दुरुस्ती अपेक्षित नहीं है

निरीक्षक भू.अभिलेख वृत अरणाय एवं पटवारी हरियाली द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट मूल ही गुणावगुण के आधार पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवामें पेश है |

संलग्न :- मौका जाँच रिपोर्ट मूल प्रति (कुल पेज सं.02)

तहसीलदार (भू.अ.) सांचौर

तहसीलदार (भू.अ.)सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें, LR पुं 15/10

श्रीमान तहसीलदार साहब
तहसील - सांचोर (जालोर)

विषय:- धारा 136 LR Act की मौका फर्द पेश करने बाबत् । (मु.नं. 12/2025)

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर $\frac{2206}{610}$ रकबा 0.74 हैक्टयर की तरमीम सही कर मूल खसरा का क्षेत्रफल सही करने का श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय सांचोर न्यायालय (कोर्ट) में धारा 136 LR Act में वाद - दायर की मौका - फर्द बनाकर पालनार्थ पेश है।

पटवारी हरियाली
15/6/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

मौका-फर्द

दिनांक: 03/10/2025

श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा आदेशानुसार आदेश क्रमांक/राज०/2025/994 दिनांक 04/09/2025 की पालना में श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय सांचोर न्यायालय (कोर्ट) में दायरवाद- धारा 136 LR Act में ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 2206/610 रकबा 0.74 हैक्टर० की तरमीम शुद्धि करने बाबत है जो कि खातेदारी भूमि नेथीराम पुत्र नवाराम जाति-कलबी सा० देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी रूड़ाराम पुत्र केहराराम जाति-कलबी द्वारा विवाद उक्त खसरा की तरमीम सही करवाने का निवेदन किया है। जिसकी जांच करने मौके पर हल्का पटवारी आसूराम के साथ मौका देखा गया। मौका मुआयना करने व रेकर्ड की जांच करने पर ग्राम हरियाली के मूल खसरा नम्बर 610 रकबा 7.23 हैक्टयर भूमि खातेदार केहराराम पुत्र वेलाराम जाति कलबी के नाम दर्ज थी। जिसमें से 0.74 हैक्टयर भूमि नेथीराम पुत्र नवाराम जाति कलबी को जरिये रजिस्ट्री बेचान किया गया था नामान्तरकरण (बेचान) के नवीन खसरा नम्बर 2206/610 रकबा 0.74 हैक्ट० भूमि खरीददार (नेथीराम) के नाम की गई। नवीन खसरा नम्बर 2206/610 की तरमीम करते वक्त 0.74 हैक्टर० के बजाय 1.00 हैक्टर० की तरमीम कर दी गई थी जो कि वर्तमान में रेकर्ड में है। जिसे जमाबंदी अनुसार 0.74 हैक्टर० की तरमीम [illegible] है। व प्रार्थी की खातेदारी भूमि से भारतमाला [illegible] खातेदारी भूमि में से 1.2921 हैक्टयर अवाप्त [illegible] गई जिससे प्रार्थी का खेत दो हिस्सों में बंट गया। भारतमाला के उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 2730/610 रकबा 4.17 हैक्टयर भूमि दर्ज रेकर्ड है। जबकि मौके पर 3.6467 हैक्टयर है। व

P.T.O.

(हस्ताक्षर) पटवारी हरियाली

(हस्ताक्षर) 3/10/2025 ILR आसाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

भारतमाला दक्षिणी भाग में खसरा नं० 2731/610 रकबा 0.47 दर्ज रेकर्ड है जो कि मौके पर 1.00 हैक्टयर है। उक्त खसरा० का रकबा मौके के अनुसार किया जाना उचित है।

मौका फर्द बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

पटवारी

3/10/2025
निरीक्षक (भू०अ०) ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested